



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )**

नवीनीकरण संख्या:R/SUL/01002/2019-3520

पञ्जाबी संख्या:R-30962

दिनांक:2009-2010

उपरोक्त प्रमाणित किया जाता है कि सभी इलेक्ट्रीकल कार्य समाप्त कर दिए गए हैं। इससे पहले प्रमाणित किया गया कि सुभाषचंद्र 228155 असाह रोड, सुभाषचंद्र, 228155 को दिए गये नवीनीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1509/2009-10 दिनांक-03/12/2009 को दिनांक-03/12/2019 के चार्ज करने की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्बन्धित रूप से जमा हो गयी है।

**Digitally Signed By  
(DURGESH TRIPATHI)**

आपकी कृपया दिनांक-11/12/2019

सोसाइटी के रेजिस्ट्रार,  
असाह रोड।

**प्रमाणित**

**सुभाषचंद्र असाह बहुविद्यालय  
सुभाषचंद्र-सुभाषचंद्र**

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹. 10

भारत  
INDIA

TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 114142

सत्य प्रतिबिम्बि

उत्तर प्रदेश  
गैर न्यायिक दस्तावेज  
कलकत्ता-३



श्री देवी बट्टी पुलाद  
श्री देवी बट्टी पुलाद  
कलकत्ता-३  
दि 30/6/62  
मुलतानपुर  
निमित्तकर्ता

प्रबन्धक  
गैर न्यायिक दस्तावेज  
कलकत्ता-३

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

₹. 10

TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AC 091927

एव प्रतिष्ठिति

एव प्रतिष्ठिति  
के अधिकार में

राज्यपाल




दस्तावेज नं. ३०१६२  
अप्रै २०१७  
अवकाश  
राज्यपाल

# स्मृति-पत्र

1. स्मृति का नाम : पर्मा हेती हटी प्रसाद माटय शैक्षिका एंव सामाजिक कल्याण समिति
2. स्मृति का पता : काम व पी.कुडुवाट अहमिल ज्यट जिला सुलतानपुर
3. स्मृति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. स्मृति का उद्देश्य :

1. शिक्षा, कलिया कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू कराना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. शिक्षा का विकास हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की विभिन्न संस्थाएं खोलना व उनका निरंतर संभालना करना।
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार समन्वय, संगीत प्रदर्शनी आदि को द्वारा उत्तर गैरिज, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुखों का प्रचार-प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
4. समाज के सुद, असहाय, निर्धन अनाथ लोगों के लिए सुशिक्षण, अनाथालय, आश्रम आदि की व्यवस्था करना।
5. बालक एवं बालिकाओं को कर्तु, अनी, कान्ठी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी भाषाओं का समुचित ज्ञान बनाना।
6. बालक-बालिकाओं को कृषि, विज्ञान, कला, पत्रिका आदि धर्म से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करना।
7. प्राथमिक व उच्चरी स्तर की सम्पूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षा के द्वारा प्रसाद के लिए विभिन्न वैधानिक विद्या संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, दूर शिक्षा, स्वयं शिक्षा, सार्व शिक्षा आदि का निरंतर संभालना करना।
8. समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूणहत्या, नश्वरुति इत्यादि को समाप्त हेतु यथा समय प्रयास करना।
9. टीबीज अल्पवयों जैसे सुका, बंध, अग्निबाह, चूल्हा, आदि से प्रभावित लोगों को राहताना करने का प्रयास करना।
10. शिक्षा की आवश्यकता वाले शिक्षा धर्म महिलाओं के लिए समाज उपस्थान करने सुदों, के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।
11. प्राथमिक स्वयंसेवा, स्वयं सेवा, प्राथमिक अनाथ, तथा स्वास्थ्य एवं स्वयंसेवा संबंधी गतिविधियों का संभालना करना तथा कर्म लागू से आचार्य निर्माण कार्य को सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी प्राथमिक अनाथ की जनता तक पहुंचाना।
12. अल्पसंख्यक, अनाथ, गैरहिन्दू, विलक्षण एवं अनाथ निर्धन लोगों के लिए सामान्य-प्रकाशन द्वारा कर्षित व कल्याणकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करना।
13. विद्यार्थियों की प्रशिक्षण एवं सुविधा की व्यवस्था करना एवं विद्यार्थी सुविधा अर्थों को लिए साक्षात् द्वारा प्रसाद जा रही परिवर्तनों को सहयोग प्रदान करना।
14. सुखी शिक्षण, काम से अर्थ, संस्था और महिला सुखों में वैदिक आदी जैसे सभी सम्पत्ति, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं एकीकृत योजनाओं को प्रति पुनः एवं पर्यावरण संतुलन हेतु जागरूकता देना करना, सुविधा संभालना सुदानी इसी लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

राज्य शाखा  
राज्य शाखा



राज्य शाखा  
राज्य शाखा

राज्य शाखा  
राज्य शाखा

राज्य शाखा  
राज्य शाखा

राज्य शाखा  
राज्य शाखा

राज्य शाखा  
राज्य शाखा

13. सूक्ष्मोद्योग, नवोद्योग संस्थान आदि कार्यक्रम एवं संस्कार द्वारा सहायिता अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।
14. समाज की युवाक/युवावियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कढ़ाई, सिलिंग कला, इत्यादिका, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्यूटीशियन, जीवन विज्ञान, विज्ञान, जरी, बालमेकिंग, कलाकारों को सिलाई, कम्प्यूटर, फल प्रसंस्करण, व्यंजन प्रसंस्करण, मिश्रित, स्वीट मिश्रित, प्लास्मि निर्माण, आभूषण मिश्रित अन्वित फल वेन्डिंग, इन्टीरियर डिजाइनिंग आदि का मिश्रित प्रशिक्षण दिनांकक रूपमें सहायलम्बन की भावना जाग्रत करना।
15. ग्रामीण क्षेत्रों की लोगों को स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग प्रशिक्षण, खेलकूद इत्यादि का समय-समय पर मिश्रित प्रशिक्षण देना।
16. समाज की निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को अग्रगत करवाना तथा उनमें स्वास्थ्य जीवन लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
17. धातक संस्थानक कोषधियों जैसे टी.बी., एड्स, मलेरिया, डीएल, मधुमेह, फाइलेरिया, पीलेबी, हेपेटाइटिस, कुष्ठ, मलेरिया, कब्बज पशु, आदि महामारी से प्रति लोगों को जागरूक व टीकाकरण करना।
18. ग्राम सभाओं में शौचालय निर्माण, नदी, तथा ग्राम सभाओं की सभी विकास योजनाओं में सहभागिता का सहयोग करना।
19. और, श्री. एच. कार्यक्रम विपन्न लोगों एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण मामलों केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।
20. जल सृष्टि एवं प्राकृतिक बनीबनीयों को जगाना एवं जलकी उपयोगिता को बने में लोगों को जानकारी देना।
21. नवोद्योग एवं नव सहायक संस्था कल्याण, मानव संसाधन विकास संगठन, नव सहायक महिला एवं बाल विकास संगठन, परती भूमि एवं उल्लेखनीय संगठन, सूखे एवं जलिकी विभाग को सहयोग प्राप्त कर सफल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
22. शिक्षा द्वारा ग्राम लोगों को स्वयंसेवा करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नवजवानों को स्वयंसेवा हेतु सक्षमोंकी प्रशिक्षण सेवा सहायलम्बन की भावना जाग्रत करना।
23. ग्रामीण महिलाओं, नवयुवों एवं ज्योतिषों को ग्रामीण सक्षमों तकनीकी जानकारी दिनांकक तथा ग्रामीण प्रशिक्षण दिनांकक रूपमें ग्राम विकास एवं सहायलम्बन की भावना जाग्रत करना।
24. ग्राम प्रवेश जलकी तथा ग्रामीण बोर्ड तथा आखिल भारतीय छात्री एवं ज्योतिषों कमीशन द्वारा सहायिता ग्रामीणों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा जगजा प्रचार प्रसार करना।
25. एकत्रीय शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इन्वीनिपरिंग कमीशन की स्थापना करना।
26. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम वजत, सड़क सुरक्षा, जगनीयता संस्था, मधुमा मसकत, जगनीयता, नदीय जगनीयता, पशु विषय, महिलाओं की सहायता का अधिदान, पशुधारी तज प्राप्त करवाने की योजनाओं की प्रचार-प्रसार को लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।

उपरोक्त कार्यक्रम  
विज्ञापन संकलन

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.



श्री. ए. ए. ए. ए.  
श्री. ए. ए. ए. ए.  
श्री. ए. ए. ए. ए.

श्री. ए. ए. ए. ए.

संस्था को प्रत्येकवर्षीय समिति को प्रदायितकियता एवं सदस्यों को आम, एवं तथा  
 "सदस्यता विवरण" संस्था को विवरण को अनुक्रम आधारित होने पर है।

क्र.सं.	नाम-पिता/पति का नाम	पता	पद	सदस्यता
1	श्री दिलशाहउदर यादव पुत्र श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	अध्यक्ष	व्यवसाय
2	श्री धनन्ताय सुन्दर यादव पुत्र श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
3	श्री रामराम यादव पुत्र स्व.श्री श्री प्रसाद यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	सीकर
4	श्री राजेश सुन्दर यादव पुत्र श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
5	श्री अशोक सुन्दर यादव पुत्र श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	व्यवसाय
6	श्री अशोक सुन्दर यादव पुत्र स्व.श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
7	श्री सीताला प्रसाद यादव पुत्र श्री लाली दीन यादव	घान 1000 / 2, बरैयाहीत जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
8	श्री रामसुन्दर यादव पुत्र स्व.श्री रामराम यादव	घान 1274 / 17, बरैयाहीत जिला सुलतानपुर	सदस्य	व्यवसाय
9	श्री लक्ष्मण यादव पुत्र स्व.श्री श्री प्रसाद यादव	घान प्रतापपुर पी.मंडल जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
10	श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव पुत्र स्व.श्री प्रसाद यादव	घान प्रतापपुर पी.मंडल जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
11	श्रीमती धर्मलाली पति श्री रामराम यादव	घान 5 पी.सुडवान तहसील बारा जिला सुलतानपुर	सदस्य	गृहणी



(5) इस विम्वर प्रस्तावितकर्ता संस्था उपरोक्त को समुक्ति-पत्र तथा निवृत्तमावती को  
 अनुसार खोजाहरीत उजिस्टेशन पत्र 21.1.1960 को अनुसंगित समिति को  
 मंजीकृत करवायाहरीत है :-

दिनांक

कार्य समितिसि

हस्ताक्षर

दस्तावेज भाषण

सदस्य प्रमाणित  
 [Signature]

श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव  
 अध्यक्ष सुभाष  
 [Signature]

श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव  
 अध्यक्ष सुभाष  
 [Signature]

# नियमावली

1. संस्था का नाम : धर्म देवी बंदी प्रसाद साहय शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति
2. संस्था का पता : ग्राम प. पो. कुडवाट तहसील अछर जिला सुनारगढ़
3. संस्था का कार्यालय : स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग : सामान्य सदस्य



पंजीकृत  
संस्था का नाम

पिताजी प्रसाद साहय  
धर्म देवी बंदी प्रसाद साहय  
सुनारगढ़

सदस्य प्रतिनिधि  
[Signature]  
[Stamp]

1. संस्था की उम्र : 40 वर्ष  
2. संस्था का नाम : धर्म देवी बंदी प्रसाद साहय  
3. पता : सुनारगढ़

4. संस्था का पता : सुनारगढ़  
5. संस्था का नाम : धर्म देवी बंदी प्रसाद साहय

जो व्यक्ति संस्था की नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पत्र में 1000/- रुपये का नकद या इससे भी अधिक की राशि की सहायता के अर्थ में प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य कहलावेगा।

जो व्यक्ति संस्था की नियुक्ति हेतु 100/- रुपये का नकद प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य कहलावेगा।

1. नुकु हो जाने पर।
2. मांगल या दिवालिवा हो जाने पर।
3. संस्था की प्रति प्रति कर कार्य करने पर।
4. अतिरिक्त प्रस्ताव का स्वीकार नहीं होने पर।
5. वैदिक अथवा अन्य न्यायालय द्वारा बर्खास्त होने पर।
6. नियुक्ति का ही सदस्यता शुल्क न देना करने पर।
7. अनागत तीन महीने में अनुपस्थित होने पर।
8. सामान्य तम 2 प्रस्तावकारिणी समिति।

संस्था की सभी प्रकार की सदस्यों की गिलाहक सम्मान प्राप्त का पटल होगा।

सामान्य तम की सामान्य बैठक साल में एक बार 10 दिनों की बैठक होगी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सामान्य तम की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व 10 दिनों की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जावेगी।

सामान्य तम की सूचना सदस्यों में से 2/3 भागों की उपस्थिति सम्पूरी मात्र होगी वस्तु स्थिति सम्पूरी के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में सम्पूरी का प्रतिशत 1/3 होगा।

प्रधान्यक  
धर्म देवी बंदी प्रसाद साहय

वार्षिक अडिबेरन

सामान्य सभा का वार्षिक अडिबेरन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

सामान्य सभा के कार्य:

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संसदा का वार्षिक बजट पास करना।
3. संसदा का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संसदा के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

B प्रबन्ध कारिणी समिति :

सदस्य

सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों की गिलाखर प्रबन्धकारिणी का सदन होगा, जिनमें अध्यक्ष एक, उपअध्यक्ष एक, प्रबन्धकार एक, सचिव प्रबन्धकार एक, कोषाध्यक्ष एक, सचिव एक, काउन्सिलर एक तथा 4 सदस्य सहित कुल संख्या 11 होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आयोजित की जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति की समझौते हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत योग्य होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए विशेष की व्यवस्था न होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति को रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति सामान्य सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य:

1. संसदा को विधायक हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संसदा का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संसदा का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाय

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्यकारिणी के अधिकार व कार्य:

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शक्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4. बैठकों के लिए दिनांशों का अनुसूचन करना परिचालन करना।

अध्यक्ष

सदस्य




इन्द्रराजप्रसाद  
जय शंकर शर्मा

शीतल प्रसाद  
मेधावती शर्मा  
धनन्जय कुमार

राजेश कुमार  
राजेश कुमार  
राजेश कुमार

सत्य प्रतिक्रिया  
राजेश कुमार  
सत्य प्रतिक्रिया  
सत्य प्रतिक्रिया

राजेश कुमार  
अपेक्षाप्रसाद





प्रस्तावना :

संस्था की अनुसूचिणी में बसने द्वारा दिने गवे अधिकायी का प्रयोग करना तथा अनुसूचितानुसार प्रयत्न को करी में सहयोग प्रदान करना।

प्रयत्न :

1. संस्था को मुख्य कार्यपालक को रूप में कार्य करना।
2. संस्था का कार्यालयी इत्येव देखना।
3. तथा विद्या से सुकरनी की पैली करना।
4. गमित बजट के अनुरगत छठ को नीरुति प्रदान करना।
5. कार्यवाही/अव्यापको को नियुक्ति परीक्षिणी रूप से प्रयुक्ति करना।
6. सदस्यों को नामांकन पर पर विद्यन करना तथा नये सदस्यों को बनना।

समिति को निर्णय को कार्यान्वित करना।  
 बिल एवं वाक्यायी पर इत्याकार करना।  
 अनुसूचितानुसार छठ समितिणी का गठन करना।  
 समिति संस्थाओं/एजेण्टों/विभाग/संस्थाओं को संबन्धित समस्त इत्येव देखी-दिलेखी पर इत्याकार करना।  
 संस्था को वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।  
 तथा एवं अन्यत सामीय को देख-देख से सुकरा करना।  
 प्रयत्न की अनुसूचिणी में बसने द्वारा दिने गवे अधिकायी का प्रयोग करना तथा अनुसूचितानुसार प्रयत्न को करी में सहयोग प्रदान करना।



सहप्रयत्नक :

सत्य प्रतिनिधि

एक विद्यन  
 को संघीयता तथा विरुद्धि देना।  
 संघीयता  
 का सिद्धि

सचिव :

संस्था की बैठकों की सूचना प्रयत्नकरिणी समिति को सदस्यों को देना।  
 बैठक की कार्यवाही परकर सुनाना एवं को विविध करना।

सोपानक :


1. संस्था की और से का व्ययहार करना।
2. बैठक का एजेण्डा देना करना।
3. तथा तथा का लेखा लेखा करना।
4. संस्था की लेख सुद्विगत रखना।
5. प्रयत्नक द्वारा इत्याकारित बिलों का सुगठन करना।
6. सदस्यों से सदस्यता शुल्क, धन, धान आदि द्वारा करना तथा संस्था को धाराधरी करी देना।

कार्यवाही :

1. संस्था में सत्य सत्य पर संस्था की समस्त प्रयत्नी का आदित्य करना तथा को सहयोग तथा में पैसा करना।

दुर्जन कर्कर  
 राजप शंकर पाव  
 नीतर कर्कर साधक  
 कोमली कर्कर  
 प्रज्ज कर्कर  
 राजप कुमर  
 क्षेम कुमर  
 रमकुन (कर्कर)

सत्य देव  
 जय कर्कर  
 कोषक :



10 संस्था के विधान एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के विधान एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया कायदात्मक रूप से 2/3 सदस्यों की बहुमत द्वारा किया जावेगा।

11 संस्था का कार्य :

संस्था का समस्त कार्य उच्चतम मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खला खोलकर किया किया जावेगा जिसका आवरण प्रत्येक वर्ष की संख्या की साथ संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा।

12 संस्था के आक-व्यय का लेखा परीक्षण अर्हिक :

संस्था के आक-व्यय का लेखा परीक्षण अर्हिक किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा किया जावेगा।

13 संस्था के द्वारा अधिकांश कार्यवाही के संयोजन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली पत्र-विलेख के मुद्रणों की देखी देखभाल तथा उसके द्वारा अधिभूत अन्य किसी व्यय को भुगतनी होगी।



दस्तावेज  
संख्या संकलन

14 संस्था के अनिवार्य

- 1. सदस्यता बकिस्टर
- 2. कार्यवाही बकिस्टर
- 3. सूचना/परीक्षा बकिस्टर
- 4. लेखक-वीस पुस्त आदि

15 संस्था के विधान एवं विधित संघीत के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीय रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

विचार  
सोनी लक्ष्मी  
अनन्जय कुमार  
छप कुमार  
सत्य देव  
अमो जगजसाद  
शील प्रताप

सत्य प्रतिनिधि  
*[Signature]*  
संस्था के अधिकारी का हित  
संस्था के हित

संस्था का कार्य  
संस्था के हित  
17/12/14

अमो कुमार  
संजय कुमार  
*[Signature]*  
संस्था के हित

संस्था के हित  
संस्था के हित

# धर्मा देवी बट्टी प्रसाद यादव शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति कुड़वार, सुलतानपुर (उ०प्र०)

पत्रांक:

दिनांक: ०२/०७/२०२२

## प्रस्ताव

आज दिनांक— 02.07.2022 को धर्मा देवी बट्टी प्रसाद यादव शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति, कुड़वार, सुलतानपुर के प्रबन्ध समिति की आवश्यक बैठक समिति कार्यालय पर हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे औरम पूर्ण रहा। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि संस्थान में डी०फार्मी०, बी०फार्मी० फोर्स संचालन करने हेतु धर्मा देवी बट्टी प्रसाद स्मारक फार्मसी कालेज, कुड़वार सुलतानपुर के नाम से फार्मसी कालेज खोला जाय; सभी सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने बैठक सम्पन्न होने की घोषणा की।

विजय शंकर यादव  
अनिल कुमार यादव  
धर्मराज कुमार यादव

धर्मराज यादव

संजय शंकर यादव

वि. जे. धर्मराज